फर्द आहकाम

गोपाल शर्मा बनाम सुनील चौधरी

139/2024

ांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्षों की प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 189/2024
निर्णय दिनांक: 20.03.2025

उनवान

1. गोपाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री छोटी लाल शर्मा उम्र 46 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण, हाल निवासी मकान नम्बर सी–224 परि मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान ।
2. श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि स्वर्गीय श्री छोटी लाल शर्मा उम्र 76 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी मकान नम्बर 3836, नाईयो की गली, कुन्दिगर भैरुजी का रास्ता, जोहरी बाजार, जयपुर, राजस्थान।
3. रामेश्वर लाल शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री छोटी लाल शर्मा उम्र 54 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण, हाल निवासी मकान नम्बर 6, गीना कॉलोनी, कैलाशपुरी दुर्गापुरा. जयपुर, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुनील चौधरी पुत्र श्री अमीलाल चौधरी हाल निवासी मकान नम्बर 23–क–8. ज्योती नगर, विधानसभा के पास, जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त उनवानी वाद बावत् स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान् न्यायालय के समक्ष सुदृढ़ तथ्यो पर प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थीगण को सफलता की पूरी–पूरी आशा है। प्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थी संख्या 1 व 3 सगे भाई तथा प्रार्थी संख्या 2. प्रार्थी संख्या 1 व 3 की माताजी है। जिनकी संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि हाल खाता संख्या नया 93 के खसरा नम्बर 152 रकबा 038 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0:13 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकथा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर ग्राम आशनाला, पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात् में प्रार्थी संख्या–1 का अविभाजित हिस्सा 5/12. प्रार्थी संख्या–2 का अविभाजित हिस्सा 1/6 एवं प्रार्थी संख्या–3 का अविभाजित हिस्सा 5/12 वर्तमान भू–राजस्व अभिलेखो जमाबन्दी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भुमि है। जिस पर प्रार्थीगण सयुक्त रूप से अपने–अपने दर्ज हिस्से अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अप्रार्थी एक आपराधिक प्रवृति का भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, अप्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात् से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की फिराक में निरन्तर प्रयासरत है तथा प्रार्थीगण उक्त वर्णित आराजीयात् से दूर निवास करने

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कारण अप्रार्थी के द्वारा किये जा रहे कुत्सित प्रयासो का निरन्तर मुकाबला करने में असमर्थ दिनांक 11.07.2024 को समय सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास प्रार्थी संख्या 3 के मोबाईल पर किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि तुम्हारी उक्त वर्णित आराजीयात् पर जबरन कब्जा करने की नीयत से तारबन्दी को काटकर अन्दर प्रवेश करने के लिए 10–15 आदमी आ रहे है, जिस पर प्रार्थी संख्या 3 का पुत्र मौके पर पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ पर अप्रार्थी व उसके साथ एक अन्य व्यक्ति जिसने अपना नाम धर्मवीर तथा उनके साथ 10–15 आदमी पावडी व कुल्हाडी लेकर खड़े थे तथा इन्होने उक्त आरजीयात् के लगवा खसरा नम्बर 365 में से अनाधिकृत प्रवेश कर प्रार्थीगण के आराजी खसरा नम्बर 364 पर हो रही तारबन्दी को काटकर उक्त आराजीयात पर बोई हुई ग्वार की फसल को तहस नहस कर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात् पर अवैध कब्जा करने के आशय से प्रार्थीगण द्वारा अपनी उक्त आराजी पर करवाई गई तारबन्दी को अप्रार्थी व उसके साथ आये आदमियो ने काट कर अवैध प्रवेश कर लिया। प्रार्थी संख्या 3 के पुत्र ने इन सभी लोगो को जमीन से बाहर जाने के लिए कहा तो अप्रार्थी व उसके साथ आये व्यक्तियो ने उसके साथ धक्का–मुक्की की तथा अप्रार्थी ने धमकी दी वह ऐन–केन–प्रकारेण प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात् पर जबरन कब्जा करने के लिए ही मजदूर लेकर आया है तथा कब्जा करके रहेगा। जिस पर प्रार्थी संख्या 3 के पुत्र ने पुलिस कन्ट्रोल रूम के 100 नम्बर पर फोन किया लेकिन कोई सहायता नहीं आई। अप्रार्थी व उसके साथ आये लोगों को पुलिस आने का अहसास होने पर तत्समय तो ये सभी लोग मौके से भाग गये लेकिन अप्रार्थी ने धमकी दी है कि वह कभी भी मौका पाकर उक्त आराजी को स्वयं के कब्जे में ले लेगा। उक्त घटना के बाद प्रार्थी संख्या 3 के पुत्र नरेश शर्मा ने दिनांक 11.07.2024 को ही पुलिस थाना सांगानेर सदर, जयपुर दक्षिण में एक लिखित शिकायत प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के उक्त वर्णित आराजीयात् व जान–माल की रक्षा करने व अप्रार्थी व उसके साथियो द्वारा किये गये उक्त आपराधिक कृत्य के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की, जिस पर पुलिस थाना सांगानेर सदर द्वारा अप्रार्थी व अन्य के विरूद्ध एक शिकायत दर्ज कर जाँच की जा रही है। अप्रार्थी एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है तथा जिसका काम लोगो को परेशान कर जबरन जमीनो पर कब्जा करना रहा है। जिसके सम्बन्ध में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी के विरूद्ध विभिन्न थानो में इस प्रकार के कई मामले दर्ज है। अप्रार्थी व उसके साथियो के द्वारा जबरन कब्जा करने के सम्बन्ध में अपनाई जा रही आपराधिक गतिविधियों का प्रार्थीगण बिना माननीय न्यायालय की मदद के मुकाबला करने में असमर्थ है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात् के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में अवबाधा कारित करने व प्रार्थीगण को जबरन बेकब्जा करने का अप्रार्थी व अन्य को कोई अधिकार नही है। उक्त वर्णित घटनाक्रम के उपरान्त प्रार्थीगण को गम्भीर आशंका है कि अप्रार्थी व उसके साथी कभी भी प्रार्थीगण को उक्त वर्णित कृषि आराजीयात् से जबरन बेदखल कर सकते है या प्रार्थीगण के उक्त वर्णित आराजीयात् के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग में बाधा कारित कर प्रार्थीगण को परेशान कर सकते है। इस कारण प्रार्थीगण को अप्रार्थी या अन्य दीगर व्यक्ति को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय से पावन्द करवाने के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक उपचार शेष नही रहा है। प्रार्थीगण अधिकारी है कि अप्रार्थी को माननीय

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि अप्रार्थी या उसका कोई एजेन्ट सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी या अन्य दीगर व्यक्त्ति प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात् के किसी भी हिस्से में जबरन प्रवेश नहीं करें, उक्त वर्णित आराजीयात् पर हो रही तारबन्दी व फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान कारित करने का प्रयास नही करें, उक्त वर्णित आराजीयात् के उपयोग–उपभोग में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अववाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये तथा प्रार्थीगण को उक्त वर्णित आराजीयात् का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने देवे। दिनांक 11.07.2024 को उत्पन्न उक्त घटनाक्रम व अप्रार्थी द्वारा दी गई धमकी से यह वाद बावत् स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने का वादकारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। विवादग्रस्त सम्पति जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में किया गया है, प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण अर्से दराज से काबिज काश्त करते चले आ रहे है। अप्रार्थी या अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति को प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात् में अनाधिकृत प्रवेश करने, जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित करने का कोई कानूनन अधिकार नही है। इस कारण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी को तुरन्त प्रभाव से अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया ताथा अप्रार्थ द्वारा उपनी दादागिरी से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होगी, जिसकी पूर्ति धन के रूप में नहीं की जा सकती है। इसलिये अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी पूर्ण रूप से प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया जावे कि अप्रार्थी व उसका कोई एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी या अन्य दीगर व्यक्ति प्रार्थना पत्र के मद सख्या 2 में वर्णित कृषि आराजीयात् हाल खाता संख्या नया 93 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर स्थित ग्राम आशवाला, पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के किसी भी हिस्से में जबरन प्रवेश नही करें, उक्त वर्णित आराजीयात् पर हो रही तारबन्दी व फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान कारित करने का प्रयास नहीं करें, उक्त वर्णित आराजीयात् के उपयोग उपभोग में प्रार्थिगण को किसी प्रकार की अवबाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये तथा प्रार्थीगण को उक्त वर्णित आराजीयात् का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने में कोई अनुचित हस्तक्षेप ना तो वह स्वयं करे ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था, कम्पनी से करवावे।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील उभयपक्ष उपस्थित। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नही किया गया। दिनांक 17.02.2025 को अप्रार्थीगण का जवाब बन्द किये जाने के आदेश दिये।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया अप्रार्थीगण को ता–फैसला दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात् हाल खाता संख्या नया 93 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 360 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 362 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर स्थित ग्राम आशवाला, पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के किसी भी हिस्से में जबरन प्रवेश नही करें, उक्त वर्णित आराजीयात् पर हो रही तारबन्दी व फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान कारित करने का प्रयास नहीं करें, उक्त वर्णित आराजीयात् के उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अवबाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये तथा प्रार्थीगण को उक्त वर्णित आराजीयात् का शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग करने में कोई अनुचित हस्तक्षेप ना तो वह स्वयं करे ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था, कम्पनी से करवावे।

बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्राथीगण अधिवक्ता एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराया गया। उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष निम्न तीन बिन्दू विचारणीय है:– (1) प्रथम दृष्टया मामला (2) सुविधा का संतुलन (3) अपूरणीय क्षति

(1) प्रथम दृष्टया मामला

वादग्रस्त भूमि के प्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थीगण की अविभाजित संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका आज तक कोई विधिवत विभाजन नही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी दर्ज है, और उक्त वादग्रस्त आराजी का विधिवत तकासमा आज दिनांक तक नही हुआ है अप्रार्थी का वादग्रस्त भूमि में कोई लेना देना नही है। प्राथीगण ने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है एवं सभी सहखातेदार अपनी सहुलियत के हिसाब से वादग्रस्त सम्पति पर संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में सफल रहा है, इसलिए उक्त बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में तय किया जाता है।

(2) सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

उक्त दोनों बिन्दूओं का सुविधा की दृष्टि से निस्तारण एक साथ किया जा रहा ...गण द्वारा राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी प्रस्तुत की है जिसमें प्रार्थीगण की संयुक्त ... दर्ज है, अप्रार्थी उक्त वर्णित आराजीयात से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा ...का प्रयास किया जा रहा है। उक्त आराजीयात के लगवा खसरा नम्बर 365 में से ...कृत प्रवेश कर प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 264 पर हो रही तारबन्दी को काटकर कब्जा कर रहा है। अप्रार्थी या अन्य किसी भी दीगर व्यक्ति को प्रार्थीगण की उक्त ...यात् में अनाधिकृत प्रवेश करने, जबरन कब्जा करने तथा प्रार्थीगण के उपयोग–उपभोग ...ा कारित करने का कोई कानूनन अधिकार नही है। अप्रार्थी द्वारा उपनी दादागिरी से ...ण को जबरन बेदखल कर दिया गया/ विशिष्ट भू–भाग पर जबरन कब्जा कर लिया तो ...र्थीगण की बहुलता बढेगी एवं प्रार्थीगण को ही अधिक असुविधा होगी तथा अपूर्णनीय क्षति ...र्थीगण को होगी।

उक्त तीनों बिन्दू प्रार्थीगण साबित करने में सफल रहे है इसलिए उनके पक्ष में किये गये है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना ...त प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया ...कर दिनांक 18.07.2024 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मूल वाद अप्रार्थी को ...न्द किया जाता है कि वाके ग्राम आशवाला, पटवार हल्का श्रीरामकी नांगल, भू–अभिलेख ...रीक्षक क्षेत्र वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त आराजीयात् हाल खाता ...ख्या नया 93 के खसरा नम्बर 152 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 353 रकबा 0.13 हैक्टेयर, ...सरा नम्बर 360 रकबा 0.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 361 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर ...62 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 363 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 364 रकबा 0. ...9 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 366 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 367 रकबा 0.16 हैक्टेयर कुल खसरा किता 9 कुल रकबा 1.60 हैक्टेयर के किसी भी हिस्से में जबरन प्रवेश नही करें, उक्त वर्णित आराजीयात् पर हो रही तारबन्दी व फसल को क्षतिग्रस्त या नुकसान कारित करने का प्रयास नहीं करें, उपयोग उपभोग में प्रार्थीगण को किसी प्रकार की अवबाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, नौकर, प्रतिनिधि, कर्मचारी से करवाये। तथा वादग्रस्त आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.03.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर